रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 71] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 12, 1989/चैत्र 22, 1911
No. 71] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 12, 1989/CHAITRA 22, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

## वाणिज्य मंत्रालय

(आयात व्यापार नियंत्रण)

सार्वजनिक सूचना स. 117–आई टी सी (पी एन)/88–91

नई दिल्ली, 12 अप्रैल, 1989

विषय:—अप्रैल, 1988—मार्च, 1991 के लिए आयात-निर्यात नीति।

फा.सं 10/51/87-ई पी सी:—वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं. 1 आई टी सी (पी एन)/88–91, दिनांक 30 मार्च, 1988 के अन्तर्गत प्रकाशित अप्रैल, 1988—मार्च, 1991 के लिए यथासंशोधित आयात-निर्यात नीति की ओर ध्यान दिलाया जाता है।

2. उक्त नीति में निम्नलिखित संशोधन नीचे उल्लिखित उचित स्थानों पर किए जाएंगे :—

| क्रम सं. | आयात-निर्यात नीति 1988—91 (खंड-1) की पृष्ठ सं. | संदर्भ | संशोधन |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 56 | अध्याय-15 पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति (पैरा 188) | इस पैरा के बाद निम्नलिखित जोड़ा जाएगा :—<br>"सीमाशुल्क बांड के अन्तर्गत विनिर्मित तथा निर्यातित माल के विशेष प्रावधान<br>188-क(1) लाइसेंसों, (शुल्क छूट योजना, आयात निर्यात पास बुक योजना, हीरा, रत्न तथा आभूषण योजना तथा सोने तथा चांदी के आभूषण तथा वस्तुओं की निर्यात योजना के अन्तर्गत विशिष्ट निर्यात आधार के साथ जारी किए गए |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | | | लाइसेंसों से भिन्न) कों मदें आयात की गई मदों से विनिर्मित और सीमाशुल्क अधिनियम 1962 की धारा 65 के अन्तर्गत सीमाशुल्क बांड से निर्यातित माल पर निम्नलिखित विशेष प्रावधान लागू होंगे :—<br>(1) ये निर्यात सामान्य प्रतिपूर्ति लाभों के लिए पात्र नहीं होंगे ।<br>(2) तथापि, ये निर्यात आयात नीति के पैरा 239 तथा 240 में निहित प्रावधानों के अनुसार निर्यातों के जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य में आयात के लागत बीमा भाड़ा मूल्य से प्राप्त अधिक मूल्य वर्धन के 10 प्रतिशत के बराबर विशेष आर.ई.पी. अनुदान के लिए पात्र होंगे । इसकी यह शर्त होगी कि निर्यात के प्रत्येक परेषण में न्यूनतम 33 प्रतिशत मूल्य वर्धन प्राप्त किया जाए और कच्चे माल, पदार्थों आदि को परिणामी उत्पादों में परिवर्तित करने में पर्याप्त विनिर्माण कार्यकलाप करने पड़ें । इस उद्देश्य से निर्यातक को सीमाशुल्क प्राधिकारी से इस आशय का एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें प्रत्येक परेषण में निर्यात के जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के समरूप आयात के लागत बीमा भाड़ा मूल्य का उल्लेख किया जाएगा ।<br>(3) इन प्रावधानों के अन्तर्गत विशेष आर.ई.पी. का दावा करने के लिए प्रक्रिया पुस्तक के अध्याय 15 में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा ।<br>(4) इन निर्यातों पर विशेष आर. ई.पी. का अनुदान इस शर्त के अधीन भी होगा कि निर्यात वर्तमान निर्यात नीति के अनुसार किए जाएं। |

2. उपर्युक्त संशोधन लोकहित में किए गए हैं ।

तेजेन्द्र खन्ना, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

## MINISTRY OF COMMERCE

(Import Trade Control)

PUBLIC NOTICE NO.: 117—ITC(PN)/88-91

New Delhi, the 12th April, 1989

Subject : Import & Export Policy for April, 1988—March, 1991.

F. No. 10/51/86-EPC: Attention is invited to the Import and Export Policy for April, 1988—March, 1991, published under the Ministry of Commerce Public Notice No. 1-ITC(PN)/88—91, dated the 30th March, 1988 as amended.

2. The following amendments shall be made in the Policy at appropriate places indicated below :—

| Sl. No. | Page No. of Import & Export Policy, 1988—91 (Vol. I) | Reference | Amendments |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 56 | Chapter XV<br><br>Import Policy for Registered Exporters Para 188 | After this Para. the following shall be added :—<br>"SPECIAL PROVISIONS FOR GOODS MANUFACTURED AND EXPORTED UNDER CUSTOMS BOND.<br>188-A. (1) Goods manufactured and exported from Customs Bond under Section 65 of the Customs Act. 1962, out of items imported against licences (other than those issued with specific export obligations under the Duty Exemption Scheme, Import-Export Pass Book Scheme, Diamonds, Gem & Jewellery Scheme and Export of gold & silver Jewellery & Articles Scheme) will be governed by the following special provisions :—<br>(i) These exports will not be eligible for normal replenishment benefits;<br>(ii) These exports will, however, be eligible for grant of Special REP equal to 10% of the value addition achieved from the CIF value of imports to FOB value of exports in accordance with the provisions contained in Paras 239 and 240 of the Import Policy. This will be subject to the conditions that a minimum value addition of 33% is achieved in each consignment of export and the conversion or raw materials, components etc. into the resultant pro- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | | | duct involves substantial manufacturing activities. For this purpose, the exporter will be required to produce a certificate from the Customs authority indicating the CIF value of imports corresponding to the FOB value of exports made in each consignment. |
| | | | (iii) For claiming Special REP under these provisions, the procedure laid down in Chapter XV of the Handbook of Procedures will be followed. |
| | | | (iv) The grant of Special REP on these exports will be further subject to the condition that the exports are made in accordance with the Export Policy in force. |

3. The above amendments have been made in public interest.

TEJENDRA KHANNA, Chief Controller of Imports & Exports

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1988